

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/गोप/परिपत्र/2013/

268

-:: परिपत्र ::-

दिनांक:- 29/03/2019

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में ।

कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है । जिसके क्रम में मण्डल के परिपत्र क्रमांक/राम/गोप/परिपत्र/2013/04 दिनांक 3.1.19 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों (तहसीलदार/सहायक राजस्व लेखाधिकारी व अन्य) को निर्देशित किया गया था कि वे अपना अचल सम्पत्ति विवरण 1 जनवरी 2019 की स्थिति में उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार अपनी SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा 31 जनवरी तक अपलोड करावें ।

इस क्रम में कार्मिक(क-1/गो.प्र.)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 13-मार्च-2019 द्वारा जिन राजपत्रित अधिकारियों ने वर्ष 2018(1-जनवरी-2019) का अपना अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं भरा है, को अंतिम अवसर देते हुए राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल संपत्ति विवरण भरने के सम्बन्ध में 30-अप्रैल-2019 तक समय सीमा बढ़ाई गई है । अतः राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अधीन समस्त राजपत्रित अधिकारियों(तहसीलदारगणो/सहा.राजस्व लेखाधिकारी व अन्य) को अपना अचल संपत्ति विवरण 30 अप्रैल 2019 तक आवश्यक रूप से अपलोड करने हेतु निर्देशित करावें ।

अंतिम अवसर 30-अप्रैल-2019 तक प्रदान करने के बावजूद भी जो राजपत्रित अधिकारी (तहसीलदार /सहायक राजस्व लेखाधिकारी व अन्य) अपना अचल संपत्ति विवरण अपलोड नहीं करते हैं, तो उनको देय वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं विजीलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नहीं की जावे ।

(विनीता श्रीवास्तव)

निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर ।

दिनांक:- 29/03/19

क्रमांक:समसंख्यक/

269-80

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्व(ग्रुप-1)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- निजी सचिव, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
- 4- निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान-जयपुर/ निदेशक, राज.राज्य आसूचना निदेशालय जयपुर
- 5- महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ।
- 6- संभागीय आयुक्त समस्त/जिला कलक्टर समस्त/
- 7- आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर/आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर / आयुक्त, सी0ए0डी0 चम्बल, कोटा
- 8- निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।/प्रधानाचार्य, उपीआरटी, टोंक ।
- 9-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर /आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
- 10-रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, योजना भवन, जयपुर ।
- 11-अध्यक्ष एवं एमडी, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि0 ज्योति नगर, जयपुर ।
- 12-मुख्य प्रबंधक, बीपीसीएल, कोटा-जोबनेर पाईप लाईन, कोटा / एम.डी. गेल इण्डिया लि0, जयपुर ।
- 13-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर
- 14-प्रबन्ध निदेशक, सीको लि0 जयपुर /मुख्य प्रबंधक, स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल उदयपुर/ जिप्सम नागौर
- 15-अधीक्षण अभियन्ता, नर्मदा सिंचाई परियोजना वृत्त जालौर
- 16-सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/कोटा /सचिव, राज0आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 17-सचिव, नगरसुधारन्यास, अलवर/भीलवाडा/बीकानेर/गंगानगर/कोटा/उदयपुर/भिवाडी /चित्तौड़गढ़
- 18-मर्याद अभियन्ता, राज0परिपत्र